भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 54

उत्तर देने की तारीख 3 फरवरी, 2025

सोमवार, 14 माघ 1946 (शक)

पीएमकेवीवाई की मुख्य विशेषताएं

54. श्री लुम्बा राम: श्री दिलीप शइकीया: श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत मुख्य विशेषताओं, लक्ष्यों और बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने वाले कुल क्षेत्रों की संख्या क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कितने युवाओं को इसके अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत गुजरात, राजस्थान सहित देश के आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों विशेषकर आकांक्षी जिलों और असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को किसी अन्य प्रकार की विशेष सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का क्रियान्वयन कर रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण तथा पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से पुनः कौशल एवं अप-स्किलिंग प्रदान किया जाता है।

पीएमकेवीवाई के वर्तमान संस्करण यानी पीएमकेवीवाई 4.0 का लक्ष्य कार्यान्वयन अवधि यानी वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 1.5 करोड़ उम्मीदवारों को कौशल प्रदान करना है। व्यय वित्त समिति ने 27.07.2022 को आयोजित अपनी बैठक में कौशल भारत कार्यक्रम के एक घटक के रूप में ₹ 6,000 करोड़ के परिव्यय के साथ पीएमकेवीवाई 4.0 योजना की सिफारिश की थी। पीएमकेवीवाई 4.0 की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. उद्योग 4.0, वेब 3.0, एआर/वीआर, जलवायु परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी और ऊर्जा संक्रमण जैसे नए युग के कौशल पर ध्यान केंद्रित करना।
ii. मूल्यांकन में नवाचारों, बेहतर निगरानी के माध्यम से पूर्व शिक्षण (आरपीएल) की मान्यता के तहत पुनः कौशल और अप-स्किलिंग पर जोर।
iii. उम्मीदवारों को बेहतर व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) पर अधिक निर्भरता।
iv. उद्योग के साथ साझेदारी में पाठ्यक्रम शुरू करके पाठ्यक्रम में लचीलापन।
v. शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईटीआई/स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों आदि के साथ उपलब्ध बुनियादी ढांचे का परस्पर उपयोग।

(ख) पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कुल 34 क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई योजना के तहत प्रशिक्षित/उन्मुख युवाओं की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**प्रशिक्षित/उन्मुख**
2019-20	4565475
2020-21	1960776
2021-22	616040
2022-23	211170
2023-24	539422

(ग) और (घ) इस योजना में विशेष परियोजनाओं का प्रावधान है, जिनका लक्ष्य कम प्रतिनिधित्व वाले सामाजिक समूहों - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांगजन तथा आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद, जनजातीय जिलों आदि जैसे भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करना है। कौशल विकास कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, जनजातीय समुदायों तथा अन्य हाशिए पर पड़े समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

यह सुनिश्चित करके समावेशिता में सुधार करने के लिए कि एससी, एसटी, महिलाएं और अन्य हाशिए पर पड़े समुदाय कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और अंततः लाभकारी वेतन और स्वरोजगार प्राप्त कर सकें, विशेष समूहों (महिलाओं और दिव्यांगजनों) और विशेष क्षेत्रों को, जैसा कि सामान्य मानदंडों में परिभाषित किया गया है, विशेष क्षेत्रों के भीतर और बाहर प्रशिक्षण के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग (बीएंडएल) और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सामान्य मानदंडों के अनुसार गैर-आवासीय प्रशिक्षण के मामले में विशेष समूहों के लिए परिवहन सुविधा भी अनुमत है।

*****